न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 150 / 2019
दिलीप सिनसिनवार एस एच – 6, शॉपिंग सेन्टर फ्लोरिसेन्ट स्कूल के पास, सेक्टर– 26, प्रताप नगर जयपुर

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 14.10.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 18.09.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 150 / 2019 पर दिनांक 18.09.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2019 / 1343–44 दिनांक 18.09.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ.16(4)(5)न्याय / सू0अ0 / 4011 दिनांक 10.10.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन इस कार्यालय में दिनांक 16.07. 2019 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र कमांक प. 2(23)(5)भू.अ. / आर.टी.आई / 2017 / 2303 दिनांक 20.08.2019 द्वारा सूचनार्थ पत्र भिजवाया गया है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं। अपीलार्थी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 03.10.2019 को प्रेषित कर निवेदन किया कि अपीलार्थी व्यक्तिगत उपस्थित होकर सूचना का अवलोकन करने में असमर्थ है तथा शेष रही सूचना जरिये डाक से भिजवाये जाने का निवेदन किया है।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी का आवेदन उनके कार्यालय में दिनांक 16.07.2019 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में उनके कार्यालय के पत्र कमांक प.2(23)(5)भू.अ. / आर.टी.आई / 2017 / 2303 दिनांक 20.08.2019 द्वारा सूचनार्थ पत्र भिजवाया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि वह वांछित सूचना का अवलोकन करने हेतु उपस्थित होने में असमर्थ है चुंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अवलोकन किये जाने के बाद ही वांछित सूचना तैयार की जा सकती है। अपीलार्थी किसी भी कार्यालय समय पर लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित सूचना का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू